87. दिव्यांगजनों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की योजनाएं एवं शासकीय नियुक्तियों में आरक्षण प्रावधान

A. क्षितिज– अपार संभावनाएँ (दिव्यांगजनों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन राशि प्रदान योजना)

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ 3–15/2016, नया रायपुर दिनांक 03.11.2016 द्वारा माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एवं उच्च शिक्षा में नियमित अध्ययनरत् दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु **''क्षितिज– अपार संभावनाएँ''** योजना प्रारंभ की गई है। उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. **हितग्राहियों की पात्रता :–**

1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
2. 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता हो।
3. नियमित अध्ययनरत् छात्र हो।
4. जिला अंतर्गत माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में दिव्यांगजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो।

अथवा

आई.टी.आई./पालीटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में) नियमित विद्यार्थी/

अथवा

चिकित्सा/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत् नियमित विद्यार्थी।

2. **मिलने वाले लाभ :–**

1. जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि क्रमशः रूपये 2000/– एवं रूपये 5000/– एकमुश्त।
2. आई.टी.आई./पालीटेक्निक/स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।
3. चिकित्सा/तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत् विद्यार्थियों को राशि 12000/– रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि।

3. **आवेदन की प्रक्रिया :–**

1. माध्यमिक परीक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्रों को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
2. आई.टी.आई. पालीटेक्निक स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला, वाणिज्य एवं विज्ञान), चिकित्सा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन कर रहें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि हेतु ऑनलाइन आवेदन www.sw.cg.gov.in में करना होता है। ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में आफलाईन आवेदन समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में करना होता है।
3. दिव्यांगजनों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. **विस्तृत जानकारी :–**

योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ भाासन, समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट www.sw.cg.gov.in से या पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय या उपसंचालक रोजगार, वि" ोष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।

B. क्षितिज– अपार संभावनाऍ (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना)

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ 3–15/2016, नया रायपुर दिनांक 03.11.2016 द्वारा दिव्यांग मेधावी व्यक्तियों को, सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु **''सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना''** योजना प्रारंभ की गई है। प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार है :–

1. **योजना हेतु पात्रता :–**

   1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगजन विद्यार्थी।
   2. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
   3. संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी।

2. **मिलने वाले लाभ :–**

   1. प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपय 20,000/– एकमुश्त।
   2. मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर राशि रूपये 30,000/– एकमुश्त।
   3. संघ/छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर राशि रूपये 50,000/– एकमुश्त।

3. **आवेदन की प्रक्रिया :–**

A. संघ लोक सेवा आयोग/छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग द्वारा जारी परिणाम के आधार पर आवेदन करने पर सहायता राशि दी जावेगी।

B. ऑनलाइन आवेदन www.sw.cg.gov.in में करना होता है। ऑनलाईन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में आफलाईन आवेदन समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में करना होता है।

C. आवेदक को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

D.

4. विस्तृत जानकारी :–

योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ भाासन, समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट www.sw.cg.gov.in से या पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय या उपसंचालक रोजगार, वि" ाष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।

C. क्षितिज– अपार संभावनाऍं (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए छात्रगृह योजना)

दिव्यांग व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05) दिव्यांग विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में रेन्ट कन्ट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित किराये की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधाएँ उपलब्ध कराना। छात्रगृह योजनान्तर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अध्ययन हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकते है।

1. योजना हेतु पात्रता –

1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक के दिव्यांगजन।
2. आवेदन छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण।
4. शिक्षण संस्थान के आवेदक के मूल निवासी की दूरी 20 कि.मी. से अधिक हो।

2. मिलने वाले लाभ –

1. भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि निम्नानुसार श्रेणी के भाहरों के लिए निर्धारित की जाती है–
   1. A श्रेणी के भाहर हेतु रू. 10000/–
   2. B श्रेणी के भाहर हेतु रू. 7000/–
   3. C श्रेणी के भाहर हेतु रू. 5000/–

3. आवेदन प्रकिया –

महाविद्यालयीन/पॉलिटेक्निक/आई.टी.आई. के नियमित 01 या 01 से अधिक (अधिकतम 05) दिव्यांग विद्यार्थियों का समूह बनाकर पूर्ण बायोडाटा के साथ सादे कागज पर संयुक्त/उपसंचालक समाजकल्याण जिला कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

4. विस्तृत जानकारी :–

योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ भाासन, समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट www.sw.cg.gov.in से या पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय या उपसंचालक रोजगार, विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।

D. दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु दिव्यांगजनों के लिए प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्र" ाासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन कमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014, 17.11.2014 तथा दिनांक 05.03.2019 द्वारा राज्य भाासन के अधीन सीधी भर्ती के पदों में दिव्यांगजनों के नियोजन के लिए निम्न प्रावधान किये गये हैं–

1. आरक्षण का प्रतिशत

राज्य के अधीन समस्त कार्यालयों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों का 7 प्रतिशत पद दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगी, जिसमें से 2–2 प्रतिशत रिक्तियां– (अ) दृष्टि बाधित अथवा कम दृष्टि (ब) अस्थि बाधित अथवा प्रगस्तिष्क अंगघात (स) श्रवण बाधित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए तथा (द) 1 प्रतिशत बहु दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को उपयुक्त चिन्हाकिंत किए गये पदों में आरक्षित होगी।

यदि कोई प्रशासकीय विभाग, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के इस प्रावधान से अपने किसी प्रतिष्ठान को अंशतः अथवा पूर्णतया मुक्त रखना आवश्यक समझे तो उसे उसका औचित्य दर्शाते हुए प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को भिजवाना अनिवार्य होगा।

2. आरक्षण के लिए दिव्यांगता का प्रतिशत

केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होगें, जो कम–से–कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहता हो उसे निर्धारित प्रारूप में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

3. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी

दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1997 यथा सं" ोधित दिनांक 29.05.2012 के अनुरूप सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी होगा। नियम, 1997 के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है जिसमें कम से कम तीन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, अस्थि बाधित दिव्यांगता /दृष्टि बाधित अथवा कम दृष्टि की दिव्यांगता/श्रवण बाधित दिव्यांगता, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र वि" ोष का वि" ोषज्ञ होना चाहिए। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी उक्त प्रमाण–पत्र में स्थायी अथवा अस्थायी भाब्द को पेन से चिकित्सक द्वारा स्वयं लिखा जाना अनिवार्य होगा।

4. अधिकतम आयु सीमा में छूट

(अ) दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु–सीमा में वहीं छूट देय होगी जो राज्य भाासन द्वारा सेवा के समस्त संवर्गो में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लागू हो। वर्तमान में यह छूट 10 वर्ष हैं।

(ब) आयु सीमा में उक्त छूट लागू रहेगी भले ही पद आरक्षित हो अथवा नहीं बशर्तें कि पद, दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना गया हो।

5. उपयुक्तता के मानदंडों में छूट

यदि दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानदंडों के आधार पर इस श्रेणी के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए मानदंडों को शिथिल कर इस श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन किया जा सकता है बशर्तें कि वे ऐसे पद अथवा पदों के लिए अनुपयुक्त न हों। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–9/1/89/1, आ.प्र. दिनांक 9/7/1991 के अनुसार इन्हें परीक्षा या साक्षात्कार में न्यूनतम आर्हक अंकों में 10 प्रतिशत अंक छूट का प्रावधान है।

दिव्यांगजनों के नियोजन के संबंध में शासन के प्रावधान, रिक्तियों एवं अन्य जानकारी उपसंचालक रोजगार, विशेष रोजगार कार्यालय (दिव्यांगजनों के नियोजन हेतु) रायपुर से प्राप्त कर सकते हैं।